Joint Committee Report in the matter of O.A No. 93 of 2024 Umesh Chand VermaVs State of U.P& Ors.

In the aforesaid matter, Shri Umesh Chand Verma raised grievance by letter dated 02.03.2023 regarding encroachment on a big pond situated in Nehru Nagar, Agra by land mafia with prayer for directing the Agra Administration to remove the encroachments.

In the above matter Hon'ble National Green Tribunal was pleased to pass the direction on dated 02.04.2024. The operating para of the order is as below: -

"4. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh (2) Uttar Pradesh State Wetland Authority through its Member Secretary (3) Agra Development Authority through its Vice Chairman, (4) Divisional Forest Officer, Agra, (5) District Magistrate, Agra and (6) Uttar Pradesh Pollution Control Board through its Member Secretary who stand impleaded as respondents No. 1 to 6. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents No. 1 to 6 requiring them to file their reply/response by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF at least one week before the date hereby fixed.

5. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of the Member Secretary, State Wet Land Authority, State PCB, DFO, Agra and District Magistrate, Agra and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The Uttar Pradesh Pollution Control Board will be the nodal agency for coordination and compliance.

6. Factual and Action taken Report by the Joint Committee and reply/response by the respondents be filed be filed by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF at least one week before the date hereby fixed.

7. List for further consideration on 14.05.2024."

In compliance of the Hon'ble NGT order Joint Committee was formed having members of State Wet Land Authority, Divisional Forest Officer, Agra, District Magistrate, Agra and State Pollution Control Board as a Nodal Agency for coordination and compliance.

1. Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Agra and Sub Divisional Magistrate (Sadar) has been nominated by District Magistrate, Agra vide order dated 08.04.2024. **(Annexure-1)**
2. Divisional Forest Officer, Agra has been nominated as a member on behalf of Member Secretary, State Wet Land Authority vide letter dated 09.04.2024. **(Annexure-2)**
3. Divisional Forest Officer, Agra.
4. Regional, Officer, Agra has been nominated as a member on behalf of State Pollution Control Board vide letter dated 12.04.2024. **(Annexure-3)**

As per the direction of the Hon'ble Tribunal, letter has been sent to Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Agra, Divisional Forest Officer, Agra, Sub Divisional Magistrate (Sadar) and Executive Engineer lower khand, Agra Canal, Agra for the joint committee inspection on dated 13.05.2024 and the copy of the letter was sent to Hon'ble District Judge, Agra, District Magistrate, Agra, Chairman, Infrastructure Sub-Committee/Additional District Judge, Court No-11, District Court, Agra and to the complainant Shri Umesh Chand Verma on his Mob. No-7906188758 through whatsapp message to remain present at 11:00 AM on the said site with relevant documents and also confirmed by talking him on his mobile no.7906188758. **(Annexure-4)**

The Joint Committee inspected the site on dated 13.05.2024 at 11:00 AM. The complainant was not present at the time of inspection. Regular call was done on his mobile no.7906188758 but he did not receive the phone. Photographs of the site visit are annexed. **(Annexure-5)**

Tehsildar, Tehsil-Sadar, Agra informed vide its letter dated 02.05.2024 that according to the revenue records Gata no.-454,511& 510 having total area of 58 Bigha 19 Biswa situated in Mauja-Lashkarpur, Tehsil-Sadar, Agra is under the control and supervision of District Judge Saheb Bahadur. There is no pond in the above Gata numbers in the revenue records and no canal/rajwaha exists at the spot. **(Annexure-6)**

The Executive Engineer, lower khand, Agra Canal, Agra informed to the Chairman, Infrastructure Sub-Committee/Additional District Judge, Court No-11,

District Court, Agra vide letter dated 30.04.2024 that Sikandra Rajwaha was earlier operational in Gata No.-510 located in Nehru Nagar, but due to urbanization, Sikandra Rajwaha is not in existence at Nehru Nagar, Agra for more than 45 years. It is also informed that Gata No.-510 situated in Nehru Nagar is recorded in the name of Kothi District Judge for the last several decades. No pond has ever been recorded in Gata No-510. **(Annexure-7)**

With reference to the letter no. 151/L-268/2024 dated 11.05.2024 sent by Regional Officer, U.P Pollution Control Board regarding site inspection on dated 13.05.2024, Chairman, Infrastructure Sub-Committee/Additional District Judge, Court No-11, District Court, Agra vide letter no.-2519/XII dated 13.05.2024 submitted the report after the approval of Hon'ble District Judge, Agra in which it has been informed that after scrutinizing the revenue records and files maintained in the District Court Agra, Court Manager and In-charge Central Nazir, District Court, Agra has put up the joint report which was scrutinized by the Officer In-Charge Nazarat and by Chairman, Infrastructure Sub-Committee/ Additional District Judge, Court No-11, District Court, Agra and submitted for further necessary action. **(Annexure-8)**

The point-wise report is as follows: -

1. District Magistrate, Agra vide his letter dated 31.01.2018 along with the report of Sub Division Magistrate, Sadar informed that the vacant land in-front of Nehru Nagar Park in which road side boundary wall is about 02 Feet high and it is broken at many places. The area of the land from the road side, the north side is 276.45m, the south side is 279m, the east side is 76.25m and the west side is 27.50m. Thus the total area is 13580 SQM i.e. 1.3580 hectares. It is also mentioned in the above report the land in question is in the form of a pit on the ground, a part of which is filled with dirty water and the rest of land is vacant. The land is undisputed in the records. Construction work can be done on the land after obtaining prior permission regarding approval of map from concerned authorities.

   Recently report has been submitted by Tehsildar, Sadar on dated 02.05.2024 that in the revenue records Gata No- 454, 511 and 510 situated in Mauza-Lashkarpur, Tehsil-Sadar, Agra having total area of 58 Bigha 19 Biswa is under the control and supervision of District Judge Saheb Bahadur. In the revenue record there is no pond/canal in the above Gata nos. and no Canal / Rajwaha is

situated at the spot. The photocopy of the report is attached herewith. **(Annexure-9)**

2. The vacant land situated in front of Nehru Nagar Park which is the part of Judge compound having government residences on its three sides in which Judicial officers, District administration officers and employees of district court and other administrative departments resides. On the north of the said land there is a road and then Nehru Nagar Park is located after the road. On the part of the said land, the construction of 09 suits Guest House is proposed for the staying of Hon'ble Judges of Hon'ble Courts, for which drawings and estimate were earlier sent to the Hon'ble High Court, Allahabad for approval vide letter dated 04.10.2018 by the District Court, Agra which was forwarded to U.P Government for administrative and financial approval by the D.O. letter dt. 28.01.2019 of Hon'ble High Court Allahabad. As per the recent information, again rectified estimate has also been sent vide letter dated: 21.01.2023 to Hon'ble High Court, Allahabad which is awaited for approval.

   Apart from above, in compliance with the orders passed by Hon'ble Supreme Court in Writ Petition No.- 643/2015 dt. 04.01.2024 for the partial portion of the said land Hon'ble High Court and U.P. Government vide letter no.- 491 (1)/सात–न्याय–9(बजट)–2024 दिनांक 24.02.2024 directed for the construction of transit hostel. In compliance of the above, District Court, Agra vide its letter no.-1305/पन्द्रह dt. 07.03.2024 forwarded the proposal to Hon'ble High Court Allahabad which is pending. Photocopy of the relevant letters related to the above proposed guest house, transit hostel are attached.

   In view of the above proposal, debris, collected from the construction/repair and demolition of dilapidated buildings of residential and non- residential premises of District Court has been used for leveling the said land itself. The said land is neither in the possession of any private person or land mafia, nor it is being developed by any private person or land mafia. Whatever leveling work has been done on the said land has been done by District Court, Agra. However during the leveling of the said land, few anti-social elements with vested interest, tried to create obstacles. Sub-Inspector, Hariparwat on dated 04.04.2024 has taken the personal bond and apology letter from Mr. Rajeev Singh Sikarwar s/o Mr. Ramveer Singh, the person who raised the threat, in which he has accepted that he

tried to obstruct the work at the behest of Shri Virendra Singh Bohra resident of Agra but now he came to know the true fact and will not create any kind of obstruction in the future. Photocopy of the letter is attached.

In compliance of the letter send by District Court on dated 03.04.2024, a letter has been sent by District Magistrate, Agra on dated 10.04.2024 to Assistant Stamp Commissioner, Tehsil-Sadar, Agra that no registration with respect to any kind of transfer/mutation/execution of agreement/Sale deed etc. should be done about the said land and if any issues related to any kind of deal/agreement comes into the knowledge, that should be immediately informed to Hon'ble District Judge, Agra for taking action regarding filling of first information report, so that the matter of such malicious attempt can be brought into the notice of Hon'ble High Court, Allahabad for further action. Such information has also been got published in major daily newspapers on dated 14.04.2024 by District Court, Agra.

3. The Vacant land situated in front of Nehru Nagar Park, which is the part of Judge's Compound has Government residences around three sides where Judicial Officer's, District Administration Officer's and Employees of Court and other Administrative Departments living with their families. The level of the said land being relatively low and uneven, due to which water discharged from the Government residences and lack of effective sewer line/drainage system in Judges Compound, Agra dirty waste water gets accumulated on the said land. In this regards efforts are being made to make proper arrangement by coordinating with the officials of District administration, Agra.
4. The Vacant land situated in front of Nehru Nagar Park, which is the part of Judge's compound has a road and Nehru Nagar Park on its North Side which is surrounded by private houses and at some distance Petrol Pump, Commercial Institution, Hospital and Multistory buildings are situated. As per the Google information, in the year 2014 the then Vice Chairman, Agra Development Authority, Agra has proposed that building having land area of 300 to 500 Square Meter, rain water harvesting should be made by the building owners with reference to the map approved by the authority. Similarly, rules have been made regarding commercial building and multistory buildings. The Committee can become aware of the information and rules and their implementation with their physical situation.

It is clear from the above that the vacant land located in front of Nehru Nagar which is the part of the Judge's compound and owned/occupied by the District Judiciary, Agra. In the past malicious attempts were made by various anti-social elements with their vested interest with the said land, which has been foiled by the District Court, Agra. After failing in their evil attempts, a letter petition has been submitted to the Hon'ble National Green Tribunal by anti-social elements by stating wrong facts. The applicant stated in his application that said land is owned by District Judge, Agra, but no application has been submitted by the applicant to the District Judge, Agra. There is no illegal possession on the said land. A proposal for construction of a 09 suits Guest House for the stay of Hon'ble Judges and a transit hostel for judicial officers on the said land is pending.

The letter has been sent to the Hon'ble High Court, Allahabad attaching photo copies of the records related to the said case by District Court vide letter no. 2362/15 dated 03.05.2024. **(Annexure-10).**

<u>Observation's and Recommendations</u>:-

1. The vacant land in front of Nehru Nagar Park is the part of Judges Compound, Agra. Sewerage network is not effective in Judges Compound. Even, old septic tank/soak pits installed in government residences are not connected with the existing sewer network. Due to the improper drainage system in Judges Compound, the dirty water flows from residences and gets accumulated on the said land. It is deliberately suggested to review and strengthen the sewerage network/drainage system in Judges Compound, Agra.
2. On the said land, construction of 09 suits Guest House is proposed for the stay of Hon'ble Judges of High Court and in compliance of the directions of Hon'ble Supreme Court of India, one Transit Hostel (G+4) is also proposed for Judicial Officers. Proposed Guest House building's layout plan/drawings have been sent to Hon'ble High Court, Allahabad for administrative approval and financial sanctioning, which have provision of Rain water harvesting system.

3. As per the revenue records, there is no pond in the gata no. 454,511 and 510. As per the report of Executive Engineer, lower khand, Agra canal, Agra, Sikandra Rajwaha is not in existence in Nehru Nagar, Agra due to urbanization for more than 45 years.

4. Date and time of joint inspection was communicated to the complainant but at the time of joint inspection neither he was present nor provided any document. During joint inspection several phone calls were made on his mobile no. 7906188758, but he didn't respond.

5. As per the report received from District Court, Agra, the debris collected from the construction /repair work and demolition of different dilapidated buildings of District Court residential and non- residential premises is being used to level the said land. No encroachment is being done by any land-mafia. However during the leveling of the said land, some anti-social elements with vested interest tried to create obstacles, which were foiled.

The above observations show that the applicant has given the wrong contents with malafide intention without any supportive documents in his application. The joint report is being submitted for kind perusal and necessary action.

Regional Officer,
U.P Pollution Control Board, Agra

Divisional Forest Officer
Agra

Representative
State Wetland Authority

Sub Divisional Magistrate (Sadar)
Agra

Municipal Commissioner,
Agra

District Magistrate,
Agra

A-1

टिप्पणी एवं आदेश

जिलाधिकारी महोदय,

कृपया पत्रावली में दाहिनी ओर सम्मुख संलग्न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–93/2024 (उमेश चंद वर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 02.04.2024 का अवलोकन करना चाहें।

"4. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh (2) Uttar Pradesh State Wetland Authority through its Member Secretary (3) Agra Development Authority through its Vice Chairman, (4) Divisional Forest Officer, Agra, (5) District Magistrate, Agra and (6) Uttar Pradesh Pollution Control Board through its Member Secretary who stand impleaded as respondents No. 1 to 6. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents No. 1 to 6 requiring them to file their reply/response by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF at least one week before the date hereby fixed.

5. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that **a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action**. Accordingly, **we constitute a Joint Committee comprising of representatives of the Member Secretary, State Wet Land Authority, State PCB, DFO, Agra and District Magistrate, Agra** and direct the same to **meet within two weeks, undertake visits to the site**, look into the grievances of the applicant, **associate the applicant** and **representative of the concerned project proponent**, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The Uttar Pradesh Pollution Control Board will be the nodal agency for coordination and compliance.

6. Factual and Action taken Report by the Joint Committee and reply/response by the respondents be filed be filed by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF at least one week before the date hereby fixed.

7. List for further consideration on 14.05.2024.

8. A copy of this order be sent to the Member Secretary, State Wet Land Authority, State PCB, DFO, Agra and District Magistrate, Agra by email for requisite compliance. "

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के के क्रम में जिलाधिकारी महोदय, आगरा की ओर से प्रतिनिधि नामित करना चाहें।

(हस्ताक्षर) 08/04/24
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आगरा।

① DM स्वयं बैठक/समिति में रहेंगे
② SDM Sadr, Nagar Ayukt भी रहेंगे

(हस्ताक्षर) 08/04/24
जिलाधिकारी,
आगरा।

A-2 PPS 20-4-24

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य–सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।

पत्र संख्या– 201 /26–11(UPSWA)-65/2024-25 **लखनऊः दिनांकः** 09 **अप्रैल ,2024**

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
आगरा वन प्रभाग, आगरा।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–93/2024 Umesh Chandra Verma Versus State of UP & Others में पारित आदेश दिनांक 02.04.2024

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विषयक वाद में पारित आदेश दिनांक 02.04.2024 के द्वारा आगरा शहर के नेहरू नगर में स्थित तालाब पर अतिकमण से संबंधित प्रकरण की जॉच के लिये संयुक्त समिति का गठन किया गया है, जिसमें सदस्य–सचिव, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण को भी नामित किया गया है।

आप जिला आर्द्रभूमि समिति, आगरा के पदेन सदस्य–सचिव हैं। अतएव उपरोक्त समिति में सदस्य–सचिव, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के प्रतिनिधि के रूप में आपको नामित किया जाता है। कृपया प्रकरण में अधोहस्ताक्षरी का प्रतिनिधित्व करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नीरज कुमार)
मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य–सचिव,
उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।

4046/E

पत्र संख्या– 201 **/उक्तदिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, आगरा।
2. सदस्य–सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

MOST IMPORTANT DFO
ADM (E)/CM
RO PCB

(नीरज कुमार)
मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य–सचिव,
उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।

533
RO PCB
ADM
12/4/24

जिलाधिकारी
आगरा
09/4/2024

ASO
20/4/24

D:\SZA Data\Suresh Kr Sid\UPSWA Nikesh Sharma\Wetland Letter 2023-24.docx

L-268 A-3 bybndkn 16/04/24

UPPCB
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Regd

पत्रांक H09406 / सी–4 / एन.जी.टी.–186 / 2024 दिनांक 12-4-24

सेवा में,

(1) सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य आद्रभूमि प्राधिकरण, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

(2) जिलाधिकारी, आगरा।

(3) प्रभागीय वन अधिकारी, आगरा।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–93 / 2024 उमेश चन्द्र वर्मा बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–93 / 2024 उमेश चन्द्र वर्मा बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैं–

".....5. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of the Member Secretary, State Wet Land Authority, State PCB, DFO, Agra and District Magistrate, Agra and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The Uttar Pradesh Pollution Control Board will be the nodal agency for coordination and compliance.

6. Factual and Action taken Report by the Joint Committee and reply/response by the respondents be filed be filed by email at judicial--ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF at least one week before the date hereby fixed.

7. List for further consideration on 14.05.2024."

उक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के प्रतिनिधित्व हेतु डा0 विश्वनाथ शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा (मो0 नं0–7839891805 ई–मेल–roagra@uppcb.in) को नामित किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0 के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति हेतु प्रतिनिधि नामित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :–

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि माननीय एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में गठित समिति के साथ समन्वय स्थापित कर, निर्धारित समयावधि में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही की सूचना से मुख्यालय को अवगत करायें।
2. विधि अधिकारी–प्रथम, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

सदस्य सचिव

JA fol. it 18/4/24 ASO

ASO 18/4/24

A-4

E-mail-roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक –151 / एल–268 / 2024 दिनांक–11 / 05 / 2024

सेवा में,

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।
3. उपजिलाधिकारी, सदर, आगरा।
4. अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड, आगरा नहर, आगरा।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या–93 / 2024 उमेश चन्द्र वर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 93 / 2024 उमेश चन्द्र वर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.04.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

"5. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of the Member Secretary, State Wet Land Authority, State PCB, DFO, Agra and District Magistrate, Agra and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The Uttar Pradesh Pollution Control Board will be the nodal agency for coordination and compliance.

6. Factual and Action taken Report by the Joint Committee and reply/response by the respondents be filed be filed by email at judicial- O.A. No. 93/2024 Umesh Chand Verma Vs. State of U.P. & Ors. ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF at least one week before the date hereby fixed.

7. List for further consideration on 14.05.2024."

मा0 अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेशों के कम में गठित संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षणोपरान्त तथ्यात्मक एवं एक्शन टेकन रिपोर्ट मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल की जानी है। तत्कम में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 13.05.2024 की पूर्वाहन 11:00 बजे प्रश्नगत स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित दिनांक को स्थल निरीक्षण हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय

VISHWANATH SHARMA — Digitally signed by VISHWANATH SHARMA Date: 2024.05.11 14:39:22 +05'30'

(डॉ0 विश्वनाथ शर्मा)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. मा0 जनपद न्यायाधीश महोदय, आगरा को सादर सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सादर सूचनार्थ।
3. अध्यक्ष, अवस्थापना उपसमिति / अपर जिला जज महोदय, न्यायालय संख्या–11, जनपद न्यायालय, आगरा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्री उमेश चन्द्र वर्मा, एडवोकेट (मो0नं0–7906188758) को स्थल निरीक्षण के समय दस्तावेजों सहित उपस्थित होने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

VISHWANATH SHARMA — Digitally signed by VISHWANATH SHARMA Date: 2024.05.11 14:39:36 +05'30'

क्षेत्रीय अधिकारी

A-5

Note cam lite
Address : Civil Lines, Agra, 282002, UP, India
Latitude : 27.207576
Longitude : 78.007238
Altitude : 166.09 meter
Date : 05/11/2024 10:15 AM
Accuracy : 1.26 meter
Note : Captured by NoteCam

GPS Map Camera
Agra, Uttar Pradesh, India
29-30, Block D, Nehru Nagar, Kamla Nagar, Agra, Uttar Pradesh 282001, India
Lat 27.207587°
Long 78.007444°
13/05/24 11:23 AM GMT +05:30
Google

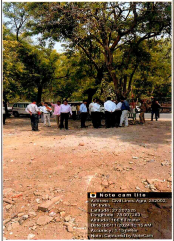
Note cam lite
Address : Civil Lines, Agra, 282002, UP, India
Latitude : 27.207525
Longitude : 78.007283
Altitude : 165.63 meter
Date : 05/11/2024 10:15 AM
Accuracy : 1.15 meter
Note : Captured by NoteCam

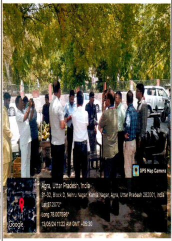
GPS Map Camera
Agra, Uttar Pradesh, India
31-32, Block D, Nehru Nagar, Kamla Nagar, Agra, Uttar Pradesh 282001, India
Lat 27.2072°
Long 78.007596°
13/05/24 11:22 AM GMT +05:30
Google

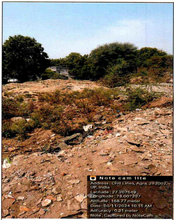
Note cam lite
Address : Civil Lines, Agra, 282002, UP, India
Latitude : 27.207549
Longitude : 78.007297
Altitude : 168.77 meter
Date : 05/11/2024 10:15 AM
Accuracy : 0.31 meter
Note : Captured by NoteCam

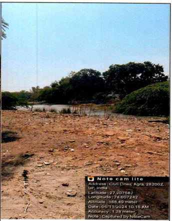
Note cam lite
Address : Civil Lines, Agra, 282002, UP, India
Latitude : 27.207582
Longitude : 78.007242
Altitude : 166.49 meter
Date : 05/11/2024 10:15 AM
Accuracy : 1.28 meter
Note : Captured by NoteCam

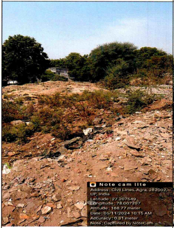
Note cam lite
Address : Civil Lines, Agra, 282002, UP, India
Latitude : 27.207549
Longitude : 78.007297
Altitude : 168.77 meter
Date : 05/11/2024 10:15 AM
Accuracy : 0.31 meter
Note : Captured by NoteCam

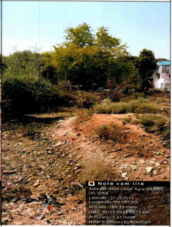
Note cam lite
Address : Civil Lines, Agra, 282002, UP, India
Latitude : 27.207575
Longitude : 78.007305
Altitude : 169.13 meter
Date : 05/11/2024 10:15 AM
Accuracy : 0.31 meter
Note : Captured by NoteCam

A-6

महोदय,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के कार्यालय से अपेक्षित सूचना के क्रम में निवेदन है कि मौजा लश्करपुर, तहसील सदर, आगरा में स्थित गाटा संख्या 454, 511 तथा 510 जिसका कुल रकबा 58 बीघा 19 बिस्वा है। राजस्व अभिलेखों में कोठी जेरे इन्तजाम डिस्ट्रिक्ट जज साहब बहादुर का आधिपत्य कब्जा व दखल है। उपरोक्त गाटा संख्याओं में मौके पर तथा राजस्व अभिलेखों में तालाब/पोखर नहीं है तथा मौके पर कोई भी नहर/रजवाहा अस्तित्व में नहीं है।

आख्या महोदय के अवलोकनार्थ सादर सेवा में प्रेषित है।

02/05/2024

महोदय, लेखपाल आख्या संप्रेषित।
02-5-24
R.I.(B)

महोदय, आख्या रा०नि० संप्रेषित
02-05-2024
तहसीलदार सदर
आगरा

A-7

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
लोअर खण्ड आगरा नहर
आगरा

पत्रांक:- 1480 /लोअर/एन०जी०टी०/ दिनांक:- 30|4|24

विषय:-जनपद न्यायालय आगरा के आवासीय परिसर, जज कम्पाउण्ड आगरा में स्थित न्याय विभाग की भूमि के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक 107 / आगरा / 2024, दिनांक 18.04.2024

अध्यक्ष अवस्थापना उपसमिति/अपर जिला जज न्यायालय संख्या-११ जनपद न्यायालय, आगरा।

महोदय, उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। जिसके क्रम में इस कार्यालय में कार्यरत श्री पंकज अग्रवाल, सहायक अभियन्ता प्रथम द्वारा आपसे दिनांक 26.04.2024 को आपके कक्ष में विषयक प्रकरण में वार्ता की गयी थी। उक्त वार्ता के क्रम में अवगत कराना है कि सहायक अभियन्ता प्रथम द्वारा ने अपनी आख्या में अवगत कराया गया है कि नेहरू नगर स्थित गाटा संख्या 510 में से पूर्व में सिकन्दरा राजवाह का संचालन होता था, परन्तु शहरीकरण हो जाने के कारण लगभग 45 वर्ष से अधिक समय से नेहरू नगर में सिकन्दरा राजवाह का संचालन नहीं हो रहा है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि नेहरू नगर स्थित गाटा संख्या 510 पिछले कई दशकों से कोठी जिला जज के नाम दर्ज है। गाटा संख्या 510 में कभी भी कोई तालाब दर्ज नहीं रहा है। अन्य गाटाओं से सिंचाई विभाग का कोई सम्बन्ध नहीं है।

संलग्नक -- गाटा सं0 510 की खतौनी की प्रति

अधिशासी अभियन्ता
लोअर खण्ड आगरा नहर,
आगरा

पत्रांक:- /लोअर/एन०जी०टी०/दिनांक:-

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता प्रथम, लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा को उनके पत्र संख्या 469 / स0अ0प्रथम / एन0जी0टी0 / दिनांक 30.04.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता
लोअर खण्ड आगरा नहर,
आगरा

Scanned with OKEN Scanner

by hand KPSingh
13/05/24 A-8

प्रेषक,
नीरज कुमार बक्शी,
अध्यक्ष अवस्थापना उपसमिति/
अपर जिला जज न्यायालय संख्या–11,
आगरा।

द्वारा– जनपद न्यायाधीश,
आगरा।

सेवा में,
क्षेत्रीय अधिकारी,
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं0 14, सेक्टर 3बी,
आवास विकास सिकन्दरा योजना,
आगरा।

पत्रांक दिनांकः

विषयः जनपद न्यायालय आगरा के आवासीय परिसर जजेज़ कम्पाउण्ड आगरा में नेहरू नगर पार्क के सम्मुख न्याय विभाग की भूमि के स्थलीय निरीक्षण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयांकित प्रकरण में आपके कार्यालय के पत्र संख्या 151/एल–268/2024 दिनांक 11.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) में योजित ओ0ए0 संख्या 93/2024 उमेश चन्द्र वर्मा बनाम स्टेट ऑफ़ यूपी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.04.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा आज दिनांक 13.05.2024 को स्थलीय निरीक्षणोपरान्त तथ्यात्मक एवं एक्शन टेकन रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) में दाखिल किये जाने के संबंध में उल्लिखित किया गया है। जिसकी प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी को भी पृष्ठांकित है।

उपरोक्त पत्र के संबंध में प्रभारी केन्द्रीय नाजिर व न्यायालय प्रबंधक, जनपद न्यायालय, आगरा द्वारा राजस्व अभिलेखों एवं जनपद न्यायालय, आगरा में पोषित पत्रावलियों के परिशीलन के पश्चात प्रस्तुत आख्या को तदनुसार प्रभारी अधिकारी नजारत एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी परिशीलन कर लिया गया है। उपरोक्त आख्या माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित है। सुलभ सदर्भ हेतु उक्त आख्या एवं सुसंगत अभिलेखों की छायाप्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

भवदीय

13/05/2024

(नीरज कुमार बक्शी)
अध्यक्ष अवस्थापना उपसमिति/
अपर जिला जज, न्यायालय संख्या–11
जनपद न्यायालय, आगरा।

पत्रांक सं० 2519/XII दिनांक 13-05-2024

अग्रसारित।
13.05.2024
जिला जज, आगरा

ASO
14/5/24

सेवा में,

मानीय जनपद न्यायाधीश,
आगरा।

विषयः जनपद न्यायालय आगरा के आवासीय परिसर जजेज़ कम्पाउण्ड आगरा में नेहरू नगर पार्क के सम्मुख न्याय विभाग की भूमि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयांकित प्रकरण में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के पत्र संख्या 151/एल–268/2024 दिनांक 11.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) में योजित ओ0ए0 संख्या 93/2024 उमेश चन्द्र वर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.04.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा आज दिनांक 13.05.2024 को स्थलीय निरीक्षणोपरान्त तथ्यात्मक एवं एक्शन टेकन रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) में दाखिल किये जाने के संबंध में उल्लिखित किया गया है। उपरोक्त पत्र के संदर्भ में केन्द्रीय नाजिर व न्यायालय प्रबंधक, जनपद न्यायालय, आगरा द्वारा राजस्व अभिलेखों एवं इस न्यायिक अधिष्ठान में पोषित पत्रावलियों के परिशीलन के पश्चात निम्नवत आख्या प्राप्त करायी गई है:–

1. जिलाधिकारी आगरा के पत्रांक संख्या 482/न्याय सहायक दिनांक 31.01.2018 को उपजिलाधिकारी आगरा सदर की आख्या को संलग्न करते हुए इस आशय की आख्या प्रस्तुत की गई थी कि नेहरू नगर पार्क के सम्मुख रिक्त भूमि जिसमें सड़क की ओर चाहरदीवारी लगभग 02 फीट ऊँची है तथा कई जगह से टूटी हुई है तथा सड़क की ओर से उत्तर दिशा की भुजा 276.45 मी0, दक्षिण की भुजा 279 मी0, पूर्व की भुजा 76.25 मी0 तथा पश्चिम भुजा 27.50 मी0 इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 13580 वर्ग मी0 अर्थात 1.3580 है0 है। उक्त आख्या में यह भी उल्लिखित है कि प्रश्नगत भूमि मौके पर एक गड्ढे के रूप में है जिसके आंशिक भाग में पानी भरा है तथा मौके पर भूमि रिक्त है। अभिलेखों में भूमि निर्विवादित है। भूमि पर नक्शे आदि से संबंधित ऐजेन्सियों से पूर्वानुमति प्राप्त कर निर्माण कार्य किया जा सकता है।

हाल ही में दिनांक 02.05.2024 को तहसीलदार सदर द्वारा यह आख्या प्रस्तुत कर दी गई है कि मौजा लश्करपुर तहसील सदर आगरा में स्थित गाटा संख्या 454, 511 तथा 510 जिसका कुल रकवा 58 बीघा 19 बिस्वा है राजस्व अभिलेखों में कोठी जेरे इन्तजाम डिस्ट्रिक्ट जज साहब बहादुर का आधिपत्य कब्जा व दखल है। उपरोक्त गाटा संख्याओं तथा राजस्व अभिलेखों में तालाब/पोखर नहीं है तथा मौके पर कोई भी नहर/रजवाहा स्थित नहीं है। आख्या की छायाप्रति संलग्न है।

2. नेहरू नगर पार्क के सामने स्थित रिक्त भूमि जो कि जज कम्पाउण्ड का भाग है उसके तीनो तरफ शासकीय आवास बने हुए है जिसमें न्यायिक अधिकारीगण, जिला प्रशासन के अधिकारीगण तथा न्यायालय व अन्य प्रशासनिक विभागों के कर्मचारीगण अध्यासित हैं। उक्त भूमि के उत्तर तरफ सड़क है, सड़क के बाद नेहरू नगर पार्क स्थित है। उक्त भूमि के आंशिक भाग पर माननीय न्यायमूर्तिगण के प्रवास हेतु 09 कक्षीय अतिथि गृह प्रस्तावित किया जा चुका है जिस संबंध में जनपद न्यायालय आगरा द्वारा दिनांक 04.10.2018 को आगणन व्यय अनुमोदनार्थ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रेषित किया गया था जिसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 28.01.2019 को प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन हेतु उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया जा चुका है। वर्तमान में उक्त प्रस्ताव लंबित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त भूमि के आंशिक भाग पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पेटिशन संख्या 643/2015 में दिनांक 24.02.2024 को पारित आदेशों के अनुपालन में माननीय उच्च न्यायालय के पत्र व उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 491(1)/सात–न्याय–9(बजट)–2024 दिनांक 24.02.2024 द्वारा अपेक्षित ट्रान्जिट हास्टल के निर्माण हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके अनुपालन में जनपद न्यायालय आगरा के पत्र संख्या 1305/पंद्रह दिनांक 07.03.2024 द्वारा प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रेषित किया जा चुका है, जो कि लंबित है। उक्त प्रस्तावित अतिथि गृह व ट्रान्जिट हॉस्टल से संबंधित सुसंगत पत्रों की छायाप्रतियां संलग्न हैं।

उक्त प्रस्तावों को दृष्टिगत जनपद न्यायालय के आवासीय परिसर तथा गैर आवासीय परिसरों में भवनों के निर्माण/मरम्मत कार्य से प्राप्त मलबे को उपरोक्त भूमि में ही डालकर समतल किया जाता रहा है। उक्त भूमि पर किसी प्राइवेट व्यक्ति अथवा भू–माफिया का कोई कब्जा नहीं है न ही किसी प्राइवेट व्यक्ति अथवा भू–माफिया द्वारा इसका समतलीकरण कराया जा रहा है। उक्त भूमि पर जो भी समतलीकरण कराया गया है वह जिला न्यायालय, आगरा द्वारा कराया गया है। यद्यपि उक्त समतलीकरण के दौरान कुछ निहित स्वार्थवश असामाजिक तत्वों द्वारा कभी–कभी बाधा डालने का प्रयास किया जाता है। दिनांक 04.04.2024 को उपनिरीक्षक हरीपर्वत द्वारा बाधा डालने वाले व्यक्ति श्री राजीव सिंह सिकरवार पुत्र श्री रामवीर सिंह द्वारा का व्यक्तिगत बंध पत्र व माफी नामा प्राप्त किया गया है। जिसमें उनके द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसने श्री वीरेन्द्र सिंह बोहरा निवासी आगरा के कहने पर कार्य मे बाधा डालने का प्रयास किया परन्तु अब उसे सही तथ्य की जानकारी हो गई है तथा इस भूमि पर भविष्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

इस न्यायिक अधिष्ठान द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 03.04.2024 के अनुपालन में जिलाधिकारी आगरा द्वारा इस आशय का पत्र दिनांक 10.04.2024 सहायक स्टाम्प आयुक्त, तहसील सदर आगरा को प्रेषित किया गया है कि उक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार का अंतरण/नामांतरण/इकरार पत्र/विकय विलेख का निष्पादन इत्यादि का पंजीकरण न कराया जाए तथा उक्त भूमि के किसी भी प्रकार के सौदा/समझौते से संबंधित प्रकरण प्रकाश में आने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की कार्यवाही हेतु तत्काल जनपद न्यायाधीश महोदय, आगरा को सूचित किया जाये जिससे कि ऐसे कुत्सित प्रयास के प्रसंग को अग्रेतर कार्यवाही हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के संज्ञान में लाया जा सके। उक्त आशय की सूचना दिनांक 14.04.2024 को प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में भी जनपद न्यायालय की ओर से प्रकाशित करायी गयी है।

3. नेहरू नगर पार्क के सामने स्थित रिक्त भूमि जो कि जज कम्पाउण्ड का भाग है उसके तीनो तरफ शासकीय आवास बने हुए है जिसमें न्यायिक अधिकारीगण, जिला प्रशासन के अधिकारीगण तथा न्यायालय व अन्य प्रशासनिक विभागों के कर्मचारीगण अध्यासित हैं तथा सपरिवार निवास कर रहे हैं जिसके कारण उक्त आवासों से

निकला हुआ पानी, जज कम्पाउण्ड आगरा में सीवर लाईन/ड्रेनेज की प्रभावी व्यवस्था न होने के कारण तथा उक्त भूमि का तल सापेक्षिक रूप से नीचा होने के कारण उक्त भूमि पर पानी बहकर जमा हो जाता है। जिसके संदर्भ में जिला प्रशासन, आगरा के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए उचित व्यवस्था कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

4. नेहरू नगर पार्क के सामने स्थित रिक्त भूमि जो कि जज कम्पाउण्ड का भाग है उसके उत्तर तरफ रोड व नेहरू नगर पार्क स्थित है जिसके चारों ओर प्राइवेट कोठियां हैं तथा कुछ दूरी पर पैट्रोल पम्प व वाणिज्यिक संस्थान, हॉस्पीटल व मल्टी स्टोरी बिल्डिंग स्थित हैं। गूगल से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2014 में तत्कालीन उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के प्रस्ताव के अनुसार 300 से 500 वर्ग मी0 भूमि क्षेत्रफल में भवनों के निर्माण से पूर्व मानचित्र स्वीकृत कराए जाने के कम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था भवन स्वामी के स्तर से कराये जाने का उल्लेख है। इसी प्रकार वाणिज्यिक भवनों व मल्टी स्टोरी भवनों के संदर्भ में भी नियम बनाए गये हैं। उक्त नियमों की जानकारी तथा उनके कियान्वयन व भौतिक वस्तुस्थिति से कमेटी अवगत हो सकती है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि नेहरू नगर पार्क के सामने स्थित रिक्त भूमि जो कि जज कम्पाउण्ड का भाग है तथा जिसका स्वामित्व व आधिपत्य जिला न्यायाधीश, आगरा का है उक्त भूमि के संदर्भ में पूर्व में असमाजिक तत्वों द्वारा निहित स्वार्थवश विभिन्न प्रकार के कुत्सित प्रयास किये गये हैं जिन्हें जनपद न्यायालय, आगरा द्वारा विफल किया गया है। असमाजिक तत्वों द्वारा अपने कुत्सित प्रयासों में विफल होने के बाद गलत तथ्य अंकित करते हुए माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक के प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि उक्त भूमि जनपद न्यायाधीश, आगरा के स्वामित्व में है परन्तु आवेदनकर्ता द्वारा जनपद न्यायाधीश, आगरा को कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अवैध कब्जा नहीं है। उक्त भूमि पर माननीय न्यायमूर्तिगण के प्रवास हेतु 09 कक्षीय अतिथि गृह एवं ट्रान्जिट हॉस्टल के निर्माण का प्रस्ताव लंबित है।

इस न्यायिक अधिष्ठान के पत्रांक संख्या–2362/पंद्रह दिनांक 03.05.2025 द्वारा उक्त प्रकरण से संबंधित अभिलेखों की छायाप्रतियों को संलग्न करते हुए पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रेषित किया गया है।

सादर।

13/05/2024
(सम्भ्रांत गोस्वामी)
प्रभारी केन्द्रीय नाजिर
जनपद न्यायालय, आगरा।

13/05/2024
(नवनीत कुमार शर्मा)
न्यायालय प्रबंधक
जनपद न्यायालय, आगरा।

अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा प्रभारी केन्द्रीय नाजिर तथा न्यायालय प्रबंधक की आख्या तथा राजस्व अभिलेखों तथा इस न्यायिक अधिष्ठान में पोषित पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। तद्नुसार आख्या माननीय महोदय के अवलोकनार्थ अग्रेतर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

13/05/2024
(नीरज कुमार बक्शी)
अध्यक्ष अवस्थापना उपसमिति/
अपर जिला जज, न्यायालय संख्या–11
जनपद न्यायालय, आगरा।

13.5.24
(रवि कांत–III)
प्रभारी अधिकारी नजारत/
विशेष न्यायाधीश द0प्र0क्षे0,
जनपद न्यायालय, आगरा।

अवलोकित एवं अनुमोदित

13.05.2024
जिला जज
आगरा।

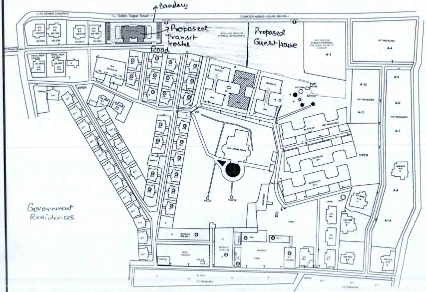

PROJECT :- PROPOSED TRANSIT HOSTEL FOR DISTRICT COURT AGRA , UTTAR PRADESH.

AGENCY :- CONSTRUCTION & DESIGN SERVICES U.P. JAL NIGAM

BUILDING :- TRANSIT HOSTEL (G + 4 STRUCTURE)

DRG. TITLE :- LAYOUT PLAN

NOTES :-

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MM.
2. WRITTEN DIMENSION IS TO BE FOLLOWED, DRAWING NOT BE SCALED.
3. THIS DRG. IS THE PROPERTY OF M/S VISION ARCHITECTS & INTERIOR DESIGNERS THIS DRAWING IS NOT TO BE REPRODUCED OR COPIED BEFORE THE PRIOR PERMISSION OF THE ARCHITECT.
4. ANY DISCREPANCY IN THE DRAWING IS TO BE BROUGHT TO THE NOTICE OF THE ARCHITECT BEFORE EXECUTION.

DATE :- FEB. 2024	DRG. NO. :- 01/04
SCALE :-	NORTH :-
S.R.E	PROJECT MANAGER
DEALT BY :- Ar. Ujjwal	ARCHITECT :- RANJAN SHUKLA

ARCHITECTURAL CONSULTANTS :-

VISION

ARCHITECTS & INTERIOR DESIGNERS
4/534, VIVEK KHAND, GOMTI NAGAR
LUCKNOW. Ph.-0522-2398266, 09335913115.
Email: visionarchitectslko@gmail.com

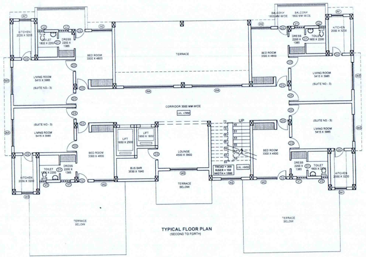

TYPICAL FLOOR PLAN
(SECOND TO FORTH)

PROJECT :-
PROPOSED
TRANSIT HOSTEL AT
JUDGES RESIDENTIAL COMPOUND,
AGRA, U. P.

AGENCY :-
CONSTRUCTION & DESIGN SERVICES
(U. P. JAL NIGAM)

BUILDING :-
TRANSIT HOSTEL

DRG. TITLE :-
TYPICAL FLOOR PLAN
(SECOND TO FORTH)

NOTES :-
1. ALL DIMENSIONS ARE IN MM.
2. WRITTEN DIMENSION IS TO BE FOLLOWED. DRAWING NOT BE SCALED.
3. THIS DRG. IS THE PROPERTY OF M/S ARDENT ARCHITECTS.
4. THIS DRAWING IS NOT TO BE REPRODUCED OR COPIED BEFORE THE PRIOR PERMISSION OF THE ARCHITECT.
5. ANY DISCREPANCY IN THE DRAWING IS TO BE BROUGHT TO THE NOTICE OF THE ARCHITECT BEFORE EXECUTION.

AREA STATEMENT:-
PLINTH AREA AT TYPICAL FLOOR = 380.87 SQM

DATE :- FEB. 2024	DRG. NO. :- 03/03
G.M. :-	NORTH :-
R.E. :-	P.M. :-
DEALT BY :- Ar. Ujjwal	ARCHITECT :- RANJAN SHUKLA

ARCHITECTURAL CONSULTANTS :-

VISION
ARCHITECTS & INTERIOR DESIGNERS
4/534, VIVEK KHAND, GOMTI NAGAR
LUCKNOW. PH.- 4016222, 9335913115
Email :- visionarchitectslko@gmail.com

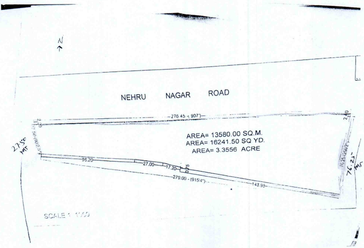

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में,

श्री अचल नारायन सकलानी, एच.जे.एस
निबन्धक (जे0)–इन्फ्रॉस्ट्रक्चर,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

आगरा।

पत्रांक: 367/XV दिनांक: 21.01.23

विषय: **जनपद न्यायालय आगरा के आवासीय परिसर, जज कम्पाउण्ड, आगरा में स्थित रिक्त भूखण्ड पर प्रस्तावित 09 कक्षीय अतिथि गृह के निर्माण हेतु आगणन व्यय का संप्रेषण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निवेदन है कि अध्यक्ष अवस्थापना उपसमिति जनपद न्यायालय, आगरा द्वारा अधोहस्ताक्षरी को इस आशय की आख्या प्रेषित की गई है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या–1074/इन्फ्रॉसैल इलाहाबाद दिनांकित 27.10.2021 द्वारा उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1732/सात–न्याय–बजट–2021–800(143)/2021 दिनांक 29.09.2021 को संलग्न करते हुए **जनपद न्यायालय, आगरा में 09 कक्षीय अतिथि गृह के निर्माण कार्य** हेतु माननीय न्यायालय के पूर्व पत्र संख्या–21/इन्फ्रॉ सैल इलाहाबाद दिनांकित 13.01.2021 के प्रकाश में वर्तमान दरों पर आगणन व्यय प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

इस न्यायिक अधिष्ठान के पत्रांक संख्या–4430/XV दिनांकित 11.08.2022 द्वारा जनपद न्यायालय आगरा के आवासीय परिसर, जज कम्पाउण्ड, आगरा में नेहरू नगर पार्क के सम्मुख स्थित रिक्त भूखण्ड पर प्रस्तावित **09 कक्षीय अतिथि गृह के निर्माण हेतु** कार्यदायी संस्था निर्माण खण्ड–01 टी0टी0, उ0प्र0 लो0नि0वि, आगरा तथा उ0प्र0 प्रोजेक्ट कोरपोरेशन लिमिटेड, आगरा द्वारा गठित आगणन व्यय को अनुमोदनार्थ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रेषित किया गया था। **उक्त आगणन व्यय की प्रतियों को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या–996/इन्फ्रॉ सैल इलाहाबाद दिनांकित 03.09.2022 द्वारा यह निर्देशित करते हुए वापस किया गया है कि उक्त परियोजना हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण लि0, आगरा तथा सी0एण्ड0डी0एस आगरा द्वारा पूर्व में प्रेषित आगणन व्यय में कमशः 250 मीटर तथा 214 मीटर चारदीवारी के निर्माण का प्राविधान किया गया था जबकि कार्यदायी संस्था उ0प्र0 लो0नि0वि, आगरा तथा कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कोरपोरेशन लिमिटेड, आगरा द्वारा हाल ही में प्रेषित गठित आगणन व्यय में चारदीवारी के निर्माण का प्रावधान कमशः 600 मीटर तथा 649.15 मीटर सम्मिलित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्तानुसार चारदीवारी की लम्बाई में दर्शित अंतर का कारण अवगत कराए जाने की अपेक्षा की गई है।**

उल्लेखनीय है कि जनपद न्यायालय, आगरा के आवासीय परिसर जज कम्पाउण्ड आगरा में नेहरू नगर पार्क के सम्मुख न्याय विभाग की रिक्त भूमि जिसका क्षेत्रफल 13,580 वर्गमीटर है, उक्त भूखण्ड पर 09 कक्षीय अतिथि गृह का निर्माण प्रस्तावित है। जिलाधिकारी, आगरा के पत्रांक संख्या–482/न्याय सहायक दिनांक 31 जनवरी 2018 द्वारा उपजिलाधिकारी, सदर की आख्या दिनांक 04.12.2017 को संलग्न करते हुए इस आशय की आख्या प्रस्तुत की गई कि प्रश्नगत भूमि मौके पर एक गढढे के रूप में है जिसमें आंशिक भाग में पानी भरा है तथा मौके पर भूमि रिक्त है। 09 कक्षीय अतिथि गृह के निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व की खेवट के अन्तर्गत गाटा संख्या–454 की भूमि का आंशिक भाग है। राजस्व अभिलेखों में किसी वाद–विवाद का उल्लेख नही हैं। अभिलेखों के अनुसार भूमि निर्विवादित है। किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन होने की कोई जानकारी नही हैं। भूमि पर नक्शे आदि से सम्बन्धित एजेन्सियों से पूर्वानुमति प्राप्त कर निर्माण कार्य किया जा सकता है।

इसी अनुकम में **तहसीलदार सदर, आगरा के पत्रांक संख्या–132/र0क0 दिनांकित 21.07.2022 द्वारा लेखपाल तहसील सदर से आख्या प्राप्त कर आख्या के अंतिम पैरा में यह उल्लिखित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि मौके पर एक गढढे के रूप में है जिसके आंशिक भाग में पानी भरा हुआ है तथा मौके पर भूमि रिक्त है। गाटा संख्या 454 के आंशिक भाग रकवा 50–19–0 बीघा पर जेर इन्तजाम डिस्ट्रिक्ट जज साहब, (राज्य सरकार का स्वामित्व) पर आधिपत्य कब्जा व दखल है साक्ष्य हेतु पटटी सरकार खेवट नं0 16 की प्रति संलग्न है जो गाटा संख्या 454 का आंशिक भाग है।**

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या–21/इन्फ्रा सैल इलाहाबाद दिनांकित 13.01.2021 के अनुपालन में 9 कक्षीय अतिथि गृह के निर्माण हेतु उ0प्र0 मुख्य वास्तुविद, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्रांक संख्या–24 एस0ए0–2/08एस0ए0–2/22 दिनांकित 24.03.2022 द्वारा मानचित्र अनुमोदित कर पूर्व में ही प्रस्तुत किया जा चुका है। **उक्त मानचित्र के अनुसार कार्यदायी संस्था निर्माण खण्ड–1, टी0टी0जे0, लोक निर्माण विभाग, आगरा के पत्र संख्या–2093/1बी दिनांक 28.09.2022 द्वारा संशोधित आगणन व्यय रू० 1979.98/–लाख तथा उ0प्र0 प्रोजेक्ट कोरपोरेशन लिमिटेड, आगरा के पत्रांक संख्या–789/पी.सी.एल/पी.एम/आगरा/न्यायालय दिनांकित 20.10.2022 द्वारा आगणन व्यय रू० 1939.93/– लाख प्रस्तुत कर दिया गया है। कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कोरपोरेशन लिमिटेड, आगरा द्वारा मृदा परीक्षण की आख्या भी संलग्न की गई है। कार्यदायी संस्था निर्माण खण्ड–1, टी0टी0जे0, लोक निर्माण विभाग, आगरा तथा उ0प्र0 प्रोजेक्ट कोरपोरेशन लिमिटेड, आगरा द्वारा चार दीवारी की कुल लम्बाई 630 मी0 ली गई है। पूर्व में प्रेषित आगणन व्यय में भूमि क्षेत्रफल केवल 2800 वर्ग मी0 हेतु चारदीवारी की लम्बाई का आंकलन किया गया था तथा वर्तमान में भूमि क्षेत्रफल 13,580 वर्ग मी0 की चारदीवारी का निर्माण कार्य सम्मिलित किया गया है जिस कारण पूर्व तथा वर्तमान में आकलित चारदीवारी की लम्बाई में अंतर दर्शित हो रहा है।**

अतिथि गृह के निर्माण हेतु आगणन व्यय में आवश्यकतानुसार कॉन्फ्रेन्स होल, डोरमैट्री, वाहन पार्किंग हेतु गैराज/स्थल, किचन, वॉकिंग पाथ, पार्क, प्रसाधन कक्ष, रिकॉर्ड रूम, मैन्टेनेन्स ऑफिस, लिफ्ट, इलैक्ट्रिकल रूम, केयरटेकर रूम, ट्यूबवेल, पम्प हाऊस, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, हॉर्टिकल्चर, बाउण्ड्री वॉल तथा बाह्य विकास कार्य, सोलर सिस्टम, सीवर सिस्टम, जनरेटर, एयर कण्डीशनर फर्नीचर व फर्नीशिंग तथा विद्युत उपकरण इत्यादि का प्रावधान सम्मिलित किया गया है। चिन्हांकित भूखण्ड का साइट प्लान मय फोटोग्राफ भी संलग्न किए गए है।

अवस्थापना उपसमिति, जनपद न्यायालय, आगरा की बैठक दिनांक 12.12.2022 में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आगणन व्यय का भलीभांति परिशीलन कर तुलनात्मक अध्ययन कर लिया गया है तथा सर्वसम्मति से उक्त आगणन व्यय की प्रतियो को अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर अनुमोदनार्थ माननीय न्यायालय को प्रेषित किए जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। समिति का कार्यवृत अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुमोदित है।

अतः **जनपद न्यायालय, आगरा के** आवासीय परिसर, जज कम्पाउण्ड, **आगरा में स्थित रिक्त भूखण्ड पर प्रस्तावित 09 कक्षीय अतिथि गृह के निर्माण** हेतु उक्त आगणन व्यय की **प्रतियां प्रतिहस्ताक्षरित कर इस अनुरोध के साथ माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ** प्रेषित है कि तद्नुसार आगणन व्यय **की प्रतियों को स्वीकृत कराकर धनराशि आवंटित कराने की कृपा करें।**

सादर।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय
21.01.2023
जनपद न्यायाधीश

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक

जनपद न्यायाधीश
आगरा।

सेवा में,

निबन्धक (जे0)–इन्फॉरस्ट्रक्चर, (अधीनस्थ न्यायालय)
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

पत्रांकः 1305/XV **दिनांकः** 07.03.2024

विषयः जनपद न्यायालय आगरा के आवासीय परिसर, जज कम्पाउण्ड, आगरा में स्थित रिक्त भूखण्ड पर ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण हेतु आगणन व्यय का संप्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निवेदन है कि अध्यक्ष, अवस्थापना उपसमिति, जनपद न्यायालय, आगरा द्वारा अधोहस्ताक्षरी को इस आशय की आख्या प्रस्तुत की गई है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या–162/इन्फ्रॉ सैल इलाहाबाद दिनांकित 29.01.2024, पत्र संख्या–220/इन्फ्रॉ सैल इलाहाबाद दिनांकित 08.02.2024 तथा उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–491/सात–न्याय–9(बजट)–2024 दिनांक 24.02.2024 द्वारा जनपद आगरा में माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत रेखाचित्र के अनुसार उपलब्ध भूमि पर ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण हेतु साध्यता आख्या तथा आगणन व्यय प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उपरोक्त पत्रों के अनुपालन में इस न्यायिक अधिष्ठान के पत्रांक संख्या–958/पंद्रह दिनांक 19.02.2024 द्वारा जनपद न्यायालय, आगरा के आवासीय परिसर जजेज कम्पाउण्ड, आगरा में नेहरू नगर पार्क के सम्मुख स्थित न्याय विभाग की रिक्त भूमि क्षेत्रफल 13,580 वर्गमीटर के आंशिक भू–भाग को ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण हेतु चिन्हांकित करते हुए प्रस्ताव माननीय न्यायालय को प्रेषित किया जा चुका है। उक्त भूखण्ड के आंशिक भाग पर 09 कक्षीय अतिथि गृह के निर्माण जिसके भूतल का आच्छादित क्षेत्रफल रेखाचित्र में 2800 वर्ग मी0 अंकित है, के संबंध में प्रस्ताव इस न्यायिक अधिष्ठान के पत्रांक संख्या–367/पंद्रह 21.01.2023 द्वारा अनुमोदनार्थ माननीय न्यायालय को पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है। जिसका अनुमोदन अपेक्षित है। कुल भूमि क्षेत्रफल 13,580 वर्ग मी0 के सापेक्ष अवशेष भूमि क्षेत्रफल 10,780 वर्ग मी0 के अनुकूलतम उपयोग को दृष्टिगत् रखते हुए ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण हेतु माननीय न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराए गए रेखाचित्र के अनुसार प्रस्तावित भवन तथा पोर्च के कुल आच्छादित क्षेत्रफल 512.41 वर्ग मी0 के अनुरूप उक्त भूमि के आंशिक भू–भाग को चिन्हांकित कर लिया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या–264/इन्फ्रॉ सैल इलाहाबाद दिनांकित 21.02.2024 के अनुपालन में माननीय न्यायालय के पूर्व पत्र संख्या–21/इन्फ्रॉ सैल इलाहाबाद दिनांकित 13.01.2021 में प्रदत्त दिशानिर्देशों के दृष्टिगत उक्त चिन्हांकित भूखण्ड पर ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण हेतु ले–आउट प्लॉन तथा रेखाचित्र की प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर माननीय न्यायालय से अनुमोदित कराए जाने हेतु इस न्यायिक अधिष्ठान द्वारा पत्र संख्या–1077/XV दिनांक 26.02.2024 प्रेषित किया जा चुका है।

अग्रेतर, ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था निर्माण खण्ड–भवन, लो.नि.वि. आगरा के पत्रांक संख्या–180/1बी दिनांक 16.02.2024 द्वारा आगणन व्यय रू0 1133.72/– लाख तथा कार्यदायी संस्था सी.एण्ड डी.एस. यूनिट 35, जल निगम, आगरा के पत्रांक संख्या–224/ट्रांजिट हॉस्टल आगरा/02 दिनांक 27.02.2024 द्वारा आगणन व्यय रू0 1115.84/– लाख प्रस्तुत कर दिए गए हैं। समिति द्वारा बैठक में उक्त आगणन व्यय की प्रतियों का भलीभांति परिशीलन कर तुलनात्मक अध्ययन कर लिया गया है। कार्यदायी संस्था सी.एण्ड.डी.एस. यूनिट 35, जल निगम, आगरा द्वारा प्रस्तुत आगणन व्यय तुलनात्मक रूप से रू0 17.88/– लाख कम है।

अवस्थापना उपसमिति, जनपद न्यायालय, आगरा की बैठक दिनांक 06.03.2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के क्रम में जनपद न्यायालय के आवासीय परिसर जजेज कम्पाउण्ड, आगरा में तद्नुसार चिन्हांकित भूखण्ड पर ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण हेतु माननीय न्यायालय को पूर्व में प्रेषित अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ले–आउट प्लॉन एवं रेखाचित्र के माननीय न्यायालय द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आगणन व्यय की प्रतियों को अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर अनुमोदनार्थ माननीय न्यायालय को प्रेषित किए जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। समिति का कार्यवृत्त दिनांक 06.03.2024 अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुमोदित है।

अतः महोदय से निवेदन है कि जनपद न्यायालय आगरा के आवासीय परिसर, जजेज कम्पाउण्ड, आगरा में स्थित रिक्त भूखण्ड पर ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण हेतु उक्त आगणन व्यय की प्रतियां प्रतिहस्ताक्षरित कर इस अनुरोध के साथ माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रेषित है कि तद्नुसार आगणन व्यय की प्रतियों को स्वीकृत करवाकर धनराशि आवंटित कराने की कृपा करें।

सादर।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय

(हस्ताक्षर) 07.03.2024

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
लोअर खण्ड आगरा नहर
आगरा

पत्रांकः- 1480 /लोअर/एन०जी०टी०/ दिनांकः- 30/5/24

विषयः-जनपद न्यायालय आगरा के आवासीय परिसर, जज कम्पाउण्ड आगरा में स्थित न्याय विभाग की भूमि के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः-आपका पत्रांक 107 / आगरा / 2024, दिनांक 18.04.2024

अध्यक्ष अवस्थापना उपसमिति/अपर जिला जज न्यायालय संख्या-११ जनपद न्यायालय, आगरा।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। जिसके क्रम में इस कार्यालय में कार्यरत श्री पंकज अग्रवाल, सहायक अभियन्ता प्रथम द्वारा आपसे दिनांक 26.04.2024 को आपके कक्ष में विषयक प्रकरण में वार्ता की गयी थी। उक्त वार्ता के कम में अवगत कराना है कि सहायक अभियन्ता प्रथम द्वारा ने अपनी आख्या में अवगत कराया गया है कि नेहरू नगर स्थित गाटा संख्या 510 में से पूर्व में सिकन्दरा राजवाह का संचालन होता था, परन्तु शहरीकरण हो जाने के कारण लगभग 45 वर्ष से अधिक समय से नेहरू नगर में सिकन्दरा राजवाह का संचालन नहीं हो रहा है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि नेहरू नगर स्थित गाटा संख्या 510 पिछले कई दशकों से कोठी जिला जज के नाम दर्ज है। गाटा संख्या 510 में कभी भी कोई तालाब दर्ज नहीं रहा है। अन्य गाटाओं से सिंचाई विभाग का कोई सम्बन्ध नहीं है।

संलग्नक -- गाटा सं0 510 की खतौनी की प्रति

अधिशासी अभियन्ता
लोअर खण्ड आगरा नहर,
आगरा

पत्रांकः- /लोअर/एन०जी०टी०/दिनांकः-

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता प्रथम, लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा को उनके पत्र संख्या 469 / स0अ0प्रथम / एन0जी0टी0 / दिनांक 30.04.2024 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता
लोअर खण्ड आगरा नहर,
आगरा

Scanned with OKEN Scanner

महोदय,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के कार्यालय से अपेक्षित सूचना के क्रम में निवेदन है कि मौजा लश्करपुर, तहसील सदर, आगरा में स्थित गाटा संख्या 454, 511 तथा 510 जिसका कुल रकबा 58 बीघा 19 बिस्वा है। राजस्व अभिलेखों में कोठी जेरे इन्तजाम डिस्ट्रिक्ट जज साहब बहादुर का आधिपत्य कब्जा व दखल है। उपरोक्त गाटा संख्याओं में मौके पर तथा राजस्व अभिलेखों में तालाब/पोखर नहीं है तथा मौके पर कोई भी नहर/रजबाहा अस्तित्व में नहीं है।

आख्या महोदय के अवलोकनार्थ सादर सेवा में प्रेषित है।

02/05/2024

महोदय,
लेखपाल आख्या संप्रेषित
02-5-24
RI(B)

महोदय,
आख्या रा०नि० संप्रेषित
02-05-2024
तहसीलदार सदर
आगरा

Scanned with OKEN Scanner

तहसील व जिला आगरा फसली १४२८

नाम मुहाल ग्राम

शेरलाल जगरूपपुर

खाता खतौनी क्रम सं०	नाम कास्तकार मय पिता का नाम व निवास	मुद्दत काश्त	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	लगान नकदी	जिन्सी लगान का मूल्य	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
	खेवट न० ७६ मालिकान मिल्कियत ह कुमत (सरकार) जफ्त						
	(जिमन १५(२) आबादी, सड़क- रेलवे भवन मकानात आदि -						
८४	कोठी जेरइन्तजाम	–	५५४६	२४।)४		–	–
	डिस्ट्रिक जजसाहब		५११५	३४	–		
	खेवट न० ७६ –		२	४८।)४			
	मालि मिल्कियत हकूमत						
	सरकारी						

जिमन १५ आराजी गैरमुमकिन
(किस्म) १२ आराजी जिस पर पानी है।

८९	रजवाहा बाहतमाम	–	५१०	३।।
	कोठी डिस्ट्रिक जज			
	साहब			

सत्यप्रतिलिपि अर्जी N.Z.A. सरकारी कार्य हेतु।

18/1/2025

प्रताप सिंह
लेखपाल
तहसील – [illegible]
आगरा

Add a caption...

Pratap Singh Lekhpal

Scanned with OKEN Scanner

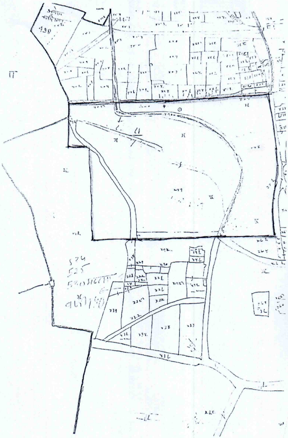

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, AGRA

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, आगरा

संख्याः 585/न्याय सहायक

दिनांक 10 अप्रैल,2024

विषयः- जनपद न्यायालय आगरा के आवासीय परिसर, जजेज कम्पाउण्ड आगरा में मौजा लश्करपुर तहसील सदर आगरा के खसरा संख्या 454, 511क एवं 510 न्याय विभाग की भूमि के सम्बन्ध में।

सहायक स्टाम्प आयुक्त,
तहसील(सदर), आगरा।

कृपया उपरोक्त विषयक अध्यक्ष अवस्थापना उपसमिति/अपर जिला जज न्यायालय संख्या-11 जनपद आगरा के पत्र संख्या 87/आगरा/2024 दिनांक 03.4.2024 (छायाप्रति संलग्न), का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें जनपद न्यायालय आगरा के आवासीय परिसर, जजेज कम्पाउण्ड आगरा में मौजा लश्करपुर तहसील सदर आगरा के खसरा संख्या 454, 511क एवं 510 कुल रकबा 50.19 बीघा पर न्याय विभाग का अधिपत्र व कब्जा दखल है। आवासीय परिसर जज कम्पाउण्ड आगरा में नेहरूनगर पार्क के सम्मुख रिक्त भूमि क्षेत्रफल 13580 वर्गमीटर, जो गाटा संख्या 454 का आंशिक भाग है, जो भूमि न्याय विभाग की है। उक्त भूखण्ड पर मा0 उच्च न्यायालय के न्यायधीशगण हेतु 09 कक्षीय अतिथिगृह तथा जनपद न्यायालय के न्यायधीशगण हेतु ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण का प्रस्ताव पूर्व में अनुमोदनार्थ मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रेषित किया जा चुका है। उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत निकट भविष्य में तदनुसार उक्त प्रस्तावित भवनों का निर्माण कार्य कराया जाना है। उक्त प्रसतावित भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का नामान्तरण/अन्तरण/इकरार पत्र/विक्रय विलेख का निष्पादन इत्यादि का पंजीकरण न कराया जाय तथा भूमि का किसी भी प्रकार के सौदा/समझौता से सम्बन्धित प्रकरण प्रकाश में आने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की कार्यवाही हेतु तत्काल मा0 न्यायाधीश महोदय आगरा को सूचित किया जाय, जिससे कि ऐसे कुत्सित प्रयास के प्रसंग को अग्रेतर कार्यवाही हेतु मा0 उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया जा सके।

अतः अध्यक्ष अवस्थापना उपसमिति/अपर जिला जज न्यायालय संख्या-11 जनपद आगरा के पत्र संख्या 87/आगरा/2024 दिनांक 03.4.2024 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि पत्र में अपेक्षित कार्यवाही कराने हेतु सम्बन्धित सब रजिस्टार को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

अपर जिला मजिस्ट्रेट(नगर)
आगरा।

<u>संख्या व दिनांक उपरोक्त</u>

प्रतिलिपिः- अध्यक्ष अवस्थापना उपसमिति/अपर जिला जज न्यायालय संख्या-11 जनपद आगरा के पत्र संख्या 87/आगरा/2024 दिनांक 03.4.2024 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

Seen. K.O.F

अपर जिला मजिस्ट्रेट(नगर)
आगरा।

HPSJA

तहसील आगरा

Scanned with OKEN Scanner

अति आवश्यक

प्रेषक
नीरज कुमार बक्शी,
अध्यक्ष अवस्थापना उपसमिति /
अपर जिला जज न्यायालय संख्या–11,
आगरा।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
आगरा।

पत्रांकः 87 / आगरा / 2024 दिनांकः 03.04.2024

विषयः जनपद न्यायालय आगरा के आवासीय परिसर, जजेज कम्पाउण्ड, आगरा में मौजा लश्करपुर, तहसील सदर आगरा के खसरा संख्या 454, 511क एवं 510 न्याय विभाग की भूमि के संबंध में।

महोदय,

निवेदन है कि जनपद न्यायालय आगरा के आवासीय परिसर, जजेज कम्पाउण्ड, आगरा में मौजा लश्करपुर, तहसील सदर आगरा के खसरा संख्या 454, 511क एवं 510 के कुल रकबा 50.19 बीघा, पर न्याय विभाग का आधिपत्य कब्जा व दखल है। उक्त भूमि के आंशिक भाग पर कोठी जिला जज, न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण के आवास निर्मित है। आवासीय परिसर जज कम्पाउण्ड, आगरा में नेहरू नगर पार्क के सम्मुख रिक्त भूमि क्षेत्रफल 13.580 वर्गमीटर भूमि जो गाटा संख्या–454 का आंशिक भाग है, उक्त भूमि न्याय विभाग की है। उक्त भूखण्ड पर माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण हेतु 09 कक्षीय अतिथि गृह तथा जनपद न्यायालय के न्यायाधीशगण हेतु ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण का प्रस्ताव पूर्व में अनुमोदनार्थ माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रेषित किया जा चुका है। उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत निकट भविष्य में तदनुसार उक्त प्रस्तावित भवनों का निर्माण कार्य कराया जाना है।

उक्त रिक्त भूखण्ड के संबंध में तत्कालीन जिलाधिकारी, आगरा के पत्रांक संख्या–482 / न्याय सहायक दिनांक 31.01.2018 द्वारा उपजिलाधिकारी, सदर की आख्या दिनांक 04.12.2017 को संलग्न करते हुए पूर्व में इस आशय की आख्या प्रस्तुत की गई थी कि प्रश्नगत भूमि के आंशिक भाग में पानी भरा है तथा मौके पर भूमि रिक्त है। प्रश्नगत भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व की खेवट के अन्तर्गत गाटा संख्या–454 की भूमि का भाग है। राजस्व अभिलेखों में किसी वाद–विवाद का उल्लेख नहीं है। अभिलेखों के अनुसार भूमि निर्विवादित है।

उक्त प्रस्तावित भूमि के संबंध में संज्ञान में आया है कि कुछ भू–माफिया प्रकृति के लोग उक्त भूमि को अवैधानिक रूप से क्रय–विक्रय / विक्रय–अनुबन्ध / अन्य प्रकार के अंतरण के संबंध में कुत्सित रूप से प्रयासरत है जो कि नितान्त अनुचित, अवैधानिक तथा दण्डनीय है।

उपरोक्त के संबंध में अनुरोध है कि स्टाम्प आयुक्त एवं संबंधित अधिकारीगण को इस आशय के दिशानिर्देश जारी करने का कष्ट करें कि उक्त प्रस्तावित भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार का नामांतरण / अंतरण / इकरार पत्र / विक्रय विलेख निष्पादन इत्यादि का पंजीकरण न कराया जाये तथा भूमि का किसी भी प्रकार के सौदा / समझौते से संबंधित प्रकरण प्रकाश में आने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की कार्यवाही हेतु तत्काल माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, आगरा को सूचित किया जाये जिससे कि ऐसे कुत्सित प्रयास के प्रसंग को अग्रेतर कार्यवाही हेतु माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में भी लाया जा सके।

अतः तदनुसार प्रकरण को संज्ञान में लेने एवं त्वरित कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

सादर।

भवदीय

(नीरज कुमार बक्शी)
अध्यक्ष अवस्थापना उपसमिति
अपर जिला जज, न्यायालय संख्या 11
जनपद न्यायालय, आगरा।

प्रतिलिपिः–

पत्रांकः 88 / आगरा / 2024 दिनांकः 03.04.2024

1. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस कमिश्नर, कमिश्नरेट आगरा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अपर जिलाधिकारी प्रशासन को सादर सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
4. स्टाम्प आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(नीरज कुमार बक्शी)
अध्यक्ष अवस्थापना उपसमिति
अपर जिला जज, न्यायालय संख्या 11
जनपद न्यायालय, आगरा।

Scanned with OKEN Scanner

ALLAHABAD

Mayank Kumar Jain, H.J.S.
Registrar General

D.O. Letter No. /Infra. Cell,
Dated: January , 2019

Sir,

I am desired to send herewith a copy of letter no.5503/XV dated 04.10.2018 of the District Judge, Agra along-with two estimates, one amounting to Rs.591.80 lacs, duly prepared by U.P. Rajkiya Nirman Nigam Ltd. and other amounting to Rs.595.13 lacs, duly prepared by Construction & Design Services, U.P. Jal Nigam, for the construction of 09 suite Guest House at Agra, duly countersigned by Assistant Registrar (Infrastructure), in token of Hon'ble Court's approval and request you kindly to move the aforesaid estimates to the Government for selecting and finalizing the construction agency & for administrative approval and financial sanction accordingly, and orders of the Government in this regard may also be communicated to this Court, at an early date.

With regards.

Yours sincerely

Encl: As above.

(Mayank Kumar Jain)

Sri Dinesh Kumar Singh-II, H.J.S.
Principal Secretary (Law) & L. R.
Govt. of U.P., Lucknow.

D.O. Letter No. 1120/Infrastructure Cell, **Dated: January 28 , 2019**

Respected Sir,

I am directed to send a copy of above D.O. letter for information.

With regards.

Yours sincerely

28.01.2019

(Praveen Kumar Jain, H.J.S.)
O.S.D.(Judicial/Infrastructure)

Sri Ajai Kumar Srivastava-I, H.J.S,
District Judge,
Agra

Secn. Inform Chairman,
Infra Sub-Committee.

DISTRICT JUDGE, AGRA
(U.P.)

Copy Forwarded to Court Manager
For Information/Compliance

By Order
05-02-19
Admn. Clerk

Secr

Scanned with OKEN Scanner

<u>रिपोर्ट चालानी अन्तर्गत धारा 149 CRPC</u>

राजीव सिंह सिकरवार पुत्र श्री रामवीर सिंह
निवासी फ्लैट नंबर 405 त्रिवेणी पैराडाइज
विजय नगर, थाना हरीपर्वत, नगर, कमिश्नरेट आगरा।

अवगत कराना है कि जज कंपाउण्ड नेहरू में स्थित भूमि को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा गैस्ट हाउस हेतु आवंटित किया गया है, उपरोक्त भूमि पर जब भी गैस्ट हाउस निर्माण कार्य किये जाने का प्रयास किया जाता है तो आपके द्वारा न्यूसेंस उत्तपन्न कर उपरोक्त भूमि पर अपना अधिकार बताते हुये कार्य नहीं होने दिया जा रहा है, आपको पूर्व में भी कई बार उक्त भूमि पर मालिकाना हक दिखाने एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है किन्तु आपके द्वारा किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। यदि आपके द्वारा भविष्य में उपरोक्त भूमि पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के क्रम में न्यूसेंस उत्तपन्न किया जाता है तो आपको विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

5/5/24
(अभिषेक कुमार)
उप-निरीक्षक
थाना हरीपर्वत, आगरा

व्यक्तिगत बंध पत्र

मैं राजीव सिंह सिकरवार पुत्र श्री रामवीर सिंह निवासी फ्लैट नंबर 405 त्रिवेणी पैराडाइज विजय नगर, थाना हरीपर्वत, नगर, कमिश्नरेट आगरा सहशपथ बयान करता हूँ, कि मुझे जज कंपाउण्ड में स्थित भूमि को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा गैस्ट हाउस आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी, मैं वीरेन्द्र सिंह बोहरा पुत्र महावीर सिंह निवासी म0न0 3/288 रोशन मौहल्ला थाना कोतवाली आगरा के कहने पर उक्त जमीन पर निर्माण कार्य नहीं होने देता हूँ, मैंने आज तक उक्त जमीन के वीरेन्द्र सिंह बोहरा के पास कागज नहीं देखे हैं, मैं उसी के कहने पर बार बार कार्य को रुकवा देता हूँ। अब मुझ जानकारी हो गयी है कि वीरेन्द्र सिंह बोहरा के पास इस जमीन के कागजात नहीं है। अब मैं इस जमीन पर किसी भी प्रकार की अडचन उत्पन्न नहीं करुँगा, यदि मेरे द्वारा ऐसा कोई भी कृत्य किया जाये तो विधि सम्मत नहीं हो तो आप मेरे विरूद्ध निःसंकोच कानूनी कार्यवाही करें, यदि मैं उक्त के परिपेक्ष में पुनः उलंघन करता हूँ, तो उसके ऐवज में मैं 1,00,000/- रूपया का भुगतान बतौर जुर्माना राज्य सरकार एवं न्यायालय के हक में करुँगा।

R Singh

हस्ताक्षर

04.04.24.

मैं, रजीत सिंह सिकरवार पुत्र श्री रामवीर सिंह निवासी - 405 फ्लैट, त्रिवेणी पैराडाइज, विजय नगर कॉलोनी, आगरा आज दिनांक 04/04/2024 को अपने मालिक जमींदार श्री वीरेन्द्र सिंह बोहरा पुत्र स्व. श्री महावीर सिंह निवासी - रोशन मौहल्ला, आगरा (जो श्री विशाल बोहरा जैन एवं सांसद के संबंधी भाई हैं) के निर्देश पर नेहरू नगर गेस्ट हाउस के लिए आरक्षित भूमि पर मा. न्यायालय द्वारा लगाए जा रहे बोर्ड को रुकवाने गया था। परन्तु सही जानकारी संज्ञान में आने पर मैंने उक्त बोहरा जी को सूचना देते हुए वहां से हट गया था। फिर भी यदि कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमाप्रार्थी हूं तथा भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होगी।

दिनांक - 04/04/2024

R Singh

रजीत सिंह सिकरवार
निवासी 405, त्रिवेणी
पैराडाइज, विजय
नगर कॉलोनी, आगरा
मो. 8630664318

कार्यालय
उपनिदेशक सूचना, आगरा

54-ए, ओल्ड ईदगाह कॉलोनी, आगरा-282001

हि० हिन्दुस्तान, आगरा

समाचार पत्र.......................... दिनांक 14/04/24.......

दै० जागरण, आगरा

जज कंपाउंड की जमीन को लेकर किया सतर्क

निर्देश

■ इस जमीन पर बनाया जाएगा न्यायाधीशों के लिए विशिष्ट अतिथि गृह, ट्रांजिट हॉस्टल

आगरा, मुख्य संवाददाता। जज कंपाउंड की जमीन पर न्यायाधीशों के लिए विशिष्ट अतिथि गृह और ट्रांजिट हास्टल बनाया जाएगा। इस जमीन का किसी ने क्रय या विक्रय किया तो उसके खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी। इस संबंध में जिला जज द्वारा पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

अध्यक्ष अवस्थापना उपसमिति/अपर जिला जज नीरज कुमार बक्शी ने बताया कि जनपद न्यायालय आगरा के आवासीय परिसर, जजेज कम्पाउण्ड में नेहरू नगर पार्क के सम्मुख न्याय विभाग की भूमि, जिस पर न्यायाधीशों के लिए विशिष्ट अतिथि गृह एवं ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण किया जाना है।

उक्त भूमि को अवैधानिक रूप से खरीद फरोख्त किये जाने के लिए भू-माफिया प्रकृति के लोग प्रयासरत हैं। प्रकरण के संज्ञान में आने के पश्चात जनपद न्यायाधीश द्वारा पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) और स्टाम्प आयुक्त को संबंधित प्रकरण को संज्ञान में लिये जाने तथा भू-माफियाओं द्वारा क्रय-विक्रय/विक्रय-अनुबंध एवं अन्य प्रकार के अन्तरण का पंजीकरण न कराने तथा किये जा रहे कुत्सित प्रयास के लिए उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि आम जनमानस का उक्त प्रकरण की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि भूमि की खरीद फरोख्त, विक्रय-समझौता इत्यादि को परिवर्जित करें। व्यतिक्रम में दण्डनीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

जज कंपाउंड की भूमि पर भू-माफिया की नजर

- भूमि की खरीदफरोख्त का भू-माफिया कर रहे प्रयास
- क्रय-विक्रय किया तो दर्ज कराया जाएगा मुकदमा

जासं, आगरा: जज कंपाउंड की भूमि पर भू-माफिया की नजर है। मामला संज्ञान में आने के बाद जिला जज ने पुलिस-प्रशासन एवं स्टांप आयुक्त को दिशा-निर्देश दिए हैं। संबंधित अधिकारियों से उक्त प्रकरण संज्ञान में लेते हुए भू-माफिया द्वारा क्रय-विक्रय, विक्रय-अनुबंध एवं अन्य प्रकार के अंतरण का पंजीकरण न कराने निर्देश दिए हैं।

अवस्थापना उप समिति के अध्यक्ष एवं अपर जिला जज नीरज कुमार बख्शी ने पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों को अवगत कराया कि जिला न्यायालय के आवासीय परिसर, जज कंपाउंड में नेहरू नगर पार्क के सामने न्याय विभाग की भूमि है। जिस पर न्यायिक अधिकारियों व विशिष्ट अतिथि गृह और ट्रांजिट हास्टल का निर्माण प्रस्तावित है। उक्त भूमि को अवैधानिक रूप से खरीद फरोख्त के लिए भू-माफिया प्रकृति के लोग प्रयासरत हैं। प्रकरण संज्ञान में आने पर जिला जज द्वारा पुलिस आयुक्त, मंडलायुक्त समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं।

कार्यालय
उपनिदेशक सूचना, आगरा

54-ए, ओल्ड ईदगाह कॉलोनी, आगरा-282001

समाचार पत्र........दै० अमर उजाला आगरा........ दिनांक 14/04/24......

अंधेरगर्दी : न्याय विभाग की भूमि पर भी लगी भूमाफिया की नजर

आगरा। नेहरू नगर पार्क के सामने जिस भूमि पर तालाब के बारे में एनजीटी ने सरकार से जवाब मांगा है, वह जमीन न्याय विभाग की है।

उसके संबंध में शनिवार को अपर जिला जज व अध्यक्ष अवस्थापना उपसमिति ने भूमाफिया की शिकायत पुलिस आयुक्त व जिलाधिकारी को भेजी है। उन्होंने जमीन की खरीद-फरोख्त करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

सिटीजंस फोरम के अध्यक्ष उमेश चंद वर्मा ने नेहरू नगर स्थित तालाब को पाटने की शिकायत एनजीटी में दर्ज कराई थी। एनजीटी ने राज्य सरकार सहित डीएम, एडीए उपाध्यक्ष व अन्य विभागों से जवाब मांगा है।

शनिवार को अवस्थापना उपसमिति के

अपर जिला जज ने पुलिस आयुक्त डीएम को दिए कार्रवाई के निर्देश

अध्यक्ष व अपर जिला जज नीरज बक्शी ने बताया कि संबंधित भूमि को भूमाफिया खुर्दबुर्द करने का प्रयास कर रहे हैं। न्याय विभाग की भूमि है, जिस पर न्यायिक अधिकारियों के लिए अतिथि गृह का निर्माण प्रस्तावित है।

प्रकरण संज्ञान में आने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर जमीन की खरीद-फरोख्त का पंजीकरण नहीं करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, भूमाफिया प्रकृति के लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित भूमि की कोई भी व्यक्ति खरीद-फरोख्त न करे। ब्यूरो

कार्यालय
उपनिदेशक सूचना, आगरा

54-ए, ओल्ड ईदगाह कॉलोनी, आगरा-282001

समाचार पत्र......दै० आई0 नेक्सट, आगरा   दिनांक 14/04/24......

जज कंपाउंड की भूमि पर भू-माफिया की नजर

भूमि की खरीदफरोख्त का भू-माफिया कर रहे प्रयास

agra@inext.co.in

AGRA (13 April) : जज कंपाउंड की भूमि पर भू-माफिया की नजर है. मामला संज्ञान में आने के बाद न्याय विभाग सक्रिय हो गया है. जिला जज ने पुलिस-प्रशासन एवं स्टांप आयुक्त को दिशा-निर्देश दिए हैं. संबंधित अधिकारियों से उक्त प्रकरण संज्ञान में लेते हुए भू-माफिया द्वारा क्रय-विक्रय, विक्रय-अनुबंध एवं अन्य प्रकार के अंतरण का पंजीकरण न कराने निर्देश दिए हैं.

अवस्थापना उप समिति के अध्यक्ष एवं अपर जिला जज नीरज कुमार बख्शी ने पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों को अवगत कराया कि जिला न्यायालय के आवासीय परिसर, जज कंपाउंड में नेहरू नगर पार्क के सामने न्याय विभाग की भूमि है. जिस पर न्यायिक अधिकारियों व विशिष्ट अतिथि गृह और ट्रांजिट हास्टल का निर्माण प्रस्तावित है. उक्त भूमि को अवैधानिक रूप से खरीद फरोख्त के लिए भू-माफिया प्रकृति के लोग प्रयासरत हैं. प्रकरण संज्ञान में आने पर जिला जज द्वारा पुलिस आयुक्त, मंडलायुक्त समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं. इस तरह का प्रयास करने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

जज कंपाउंड पर है भूमाफियाओं की नजर: क्रय–विक्रय हाने पर दर्ज कराई जाएगी प्राथमिकी

आगरा १३ अप्रैल(देशरत्न)। जज कंपाउंड में नेहरू नगर के निकट की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर लगी हुई है। उनके द्वारा भूमि को अवैधानिक रूप से खरीद-फरोख्त किये जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन भूमाफियाओं को लेकर जनपद न्यायालय प्रशासन सतर्क हो गया है। जिला पुलिस. प्रशासन से जुडे अधिकारियों को भी इस बारे में सचेत कर दिया गया है। जिला सूचना कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अपर जिला जज और अवस्थापना उपसमिति के अध्यक्ष नीरज कुमार बख्शी ने अवगत कराया है कि जनपद न्यायालय के आवासीय परिसरए जजेज कम्पाउण्ड में नेहरू नगर पार्क के सम्मुख न्याय विभाग की भूमि है।

इस भूमि पर न्यायाधीशगणों हेतु विशिष्ट अतिथि गृह एवं ट्रांजिट हास्टल का निर्माण किया जाना है। उक्त भूमि को अवैधानिक रूप से खरीद.फरोख्त किये जाने हेतु भू.माफिया प्रकृति के लोग प्रयासरत हैं। प्रकरण के संज्ञान में आने के पश्चात जनपद न्यायाधीश द्वारा पुलिस कमिश्नर, कमिश्नरेट, जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) तथा स्टाम्प आयुक्त को संबंधित प्रकरण को संज्ञान में लिये जाने को कहा गया है। भू.माफियाओं द्वारा क्रय-विक्रय/विक्रय.अनुबंध एवं अन्य प्रकार के अन्तरण का पंजीकरण न कराने तथा किये जा रहे कुत्सित प्रयास हेतु उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश भी जारी किये गये हैं। न्यायमूर्ति बख्शी ने आम जनमानस का भी उक्त प्रकरण की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है कि भूमि की खरीद-फरोख्त, विक्रय-समझौता इत्या[illegible] न करें, अन्यथा दण्डनीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

47

नेहरू नगर तालाब पर कब्जे की शिकायत पर नोटिस

जवाब तलब

- अवैध कब्जे के मामले में दायर हुई याचिका पर सुनवाई
- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया

आगरा, वरिष्ठ संवाददाता। शहर की पॉश कालोनी नेहरू नगर में स्थित पुराने तालाब पर अवैध कब्जे की कोशिश के मामले में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। प्रकरण में स्थानीय अधिकारियों से भी जवाब तलब किया गया है।

सिटीजन फोरम संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट उमेश चंद वर्मा ने एनजीटी में याचिका दायर की थी। उनका आरोप था कि कुछ भू-माफिया तालाब पर कब्जा करने की नीयत से रात के अंधेरे में मलबा डाल कर बुल्डोजर से तालाब को पाट रहे हैं। ताकि उस पर बहुमंजिला इमारत खड़ी की जा सके। करोडों की इस बेशकीमती जमीन पर बड़े-बड़े भू-माफिया की निगाह है। अधिवक्ता उमेश चंद वर्मा के मुताबिक आरटीआई के माध्यम से मांगी गयी सूचना से खुलासा हुआ है कि रजवाह सिकंदरा मील 15 करलांग 3 फुट 314 तक (नेहरू नगर में सिंचाई विभाग की स्थिति) भूमि पर सिंचाई विभाग का स्वामित्व है। जिसका गाटा संख्या 495 से 510 तक है। पूर्व में सिंचाई विभाग की मुख्य नहर से सिकंदरा रजवाह भगवान टॉकीज चौराहा तक और भगवान टॉकीज चौराहे से गूल कचहरी नहर नेहरू नगर होते हुए जज कंपाउंड तालाब और अकबरी तालाब तक आती थी।

अब इस गूल कचहरी नहर का संचालन बंद कर दिया है। जिस कारण से जज कंपाउंड स्थित तालाब और अकबरी चर्च तालाब बिना पानी सूख गए हैं। इसी का फायदा उठाकर भू माफिया तालाबों पर कब्जे कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि आगरा प्रशासन नेहरू नगर तालाब को कब्जा मुक्त करवा कर उसका सौंदर्यीकरण कराये ताकि पर्यावरण को जीवंत रखा जा सके और भूजल स्तर को सुधारा जा सके। एडवोकेट उमेश चंद वर्मा के मुताबिक इस प्रकरण में एनजीटी ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, सचिव पर्यावरण, उपाध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, जिलाधिकारी आगरा, उत्तर प्रदेश प्रदूषण विभाग सहित कई विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

48

जोर का धक्का लगने पर वे दहशत में आ गए। चीखपुकार मच गई।

तगादा करता था। लोकेश ने उससे कहा कि एक बार में पूरा कर्जा उतार देगा।

ने मालिक के साथ विश्वासघात किया था। उसे लेकर लोगों में गुस्सा भी था।

ने जेल रोड पर उसे घेरा। पुलिस को देखते ही गोली चला दी।

1.8 डिग्री 3

नेहरू नगर तालाब पर कब्जे की

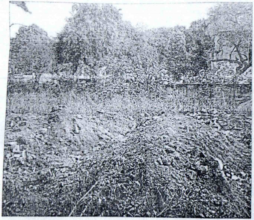

शहर की पॉश कालोनी नेहरू नगर में स्थित पुराने तालाब पर अवैध कब्जे की कोशिश की जा रही है। तालाब को मलबे से पाटा जा रहा है।

जवाब तलब

- अवैध कब्जे के मामले में दायर हुई याचिका पर सुनवाई
- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया

आगरा, वरिष्ठ संवाददाता। शहर की पॉश कालोनी नेहरू नगर में स्थित पुराने तालाब पर अवैध कब्जे की कोशिश के मामले में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। प्रकरण में स्थानीय अधिकारियों से भी जवाब तलब किया गया है।

सिटीजन फोरम संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट उमेश चंद वर्मा ने एनजीटी में याचिका दायर की थी। उनका आरोप था कि कुछ भू-माफिया तालाब पर कब्जा करने की नीयत से रात के अंधेरे में मलबा डाल कर बुल्डोजर से तालाब को पाट रहे हैं। ताकि उस पर बहुमंजिला इमारत खड़ी की जा सके। करोडों की इस बेशकीमती जमीन पर बड़े-बड़े भू-माफिया की निगाह है। अधिवक्ता उमेश चंद वर्मा के मुताबिक आरटीआई के माध्यम से मांगी गयी सूचना से खुला सिकंदरा मील 314 तक (
विभाग की स्
विभाग का स्वा
संख्या 495 से
सिंचाई विभाग
सिकंदरा रज
चौराहा तक
चौराहे से गूल व
होते हुए जज
अकबरी ताला

अब इस गू
संचालन बंद क
से जज कंपाउं
अकबरी चर्च त

करने से मना कर दिया। इस पर उन्होंने आयोग में परिवाद दाखिल किया।

जाता है। इसके बाद शिव विवाह की कथा में श्रद्धालु भक्तिभाव से भर गए। माता पार्वती का श्रद्धालुओं ने

श्रद्धापूर्वक कन्यादान ... सुरेन्द्र सिंह, उत्तम सिंह, अनूप चंद जैन, रवि शर्मा, वीरेंद्र माहेश्वरी आदि का सहयोग रहा। (वि.)

भजन आयोजित होंगे। यह जानकारी ग्राम प्रधान हिम्मत सिंह ने दी है।

नेहरू नगर तालाब पर एनजीटी का सरकार को नोटिस

- सिटीजंस फोरम के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता उमेश चंद्र वर्मा ने एनजीटी में की थी शिकायत
- मुख्य सचिव, विकास प्राधिकरण डीएम, यूपीपीसीबी से मांगा जवाब, 14 को होगी सुनवाई

49

संवाददाता, जागरण, आगरा: नेहरू नगर में 100 वर्ष पुराने तालाब पर अवैध कब्जे की शिकायत पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। तालाब को उसके पुराने स्वरूप में वापस लाने के लिए सिटीजंस फोरम के अध्यक्ष अधिवक्ता उमेश चंद्र वर्मा की एनजीटी में की गई शिकायत का संज्ञान लिया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एनजीटी ने मुख्य सचिव, उप्र स्टेट वेटलैंड अथारिटी के सदस्य सचिव, डीएम, आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत कई विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 14 मई को होगी।

नेहरू नगर स्थित वह तालाब जिस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है • जागरण

ताजगंज निवासी अधिवक्ता उमेश चंद्र वर्मा ने एनजीटी में शिकायत करते हुए कहा था कि कुछ लोग तालाब पर कब्जा करने की नीयत से रात के अंधेरे में मलबा डालकर बुलडोजर से तालाब पाट रहे हैं, जिससे कि उस पर बहुमंजिला इमारत खड़ी की जा सके। उनके शिकायती पत्र का स्वतः संज्ञान लेकर एनजीटी ने मामला दर्ज किया है। दो अप्रैल को न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विषेषज्ञ सदस्य न्यायमूर्ति डा. अफरोज अहमद ने याचिका पर सुनवाई की। वर्मा ने बताया कि सूचना का अधिकार (आरटीआइ) के माध्यम से उन्होंने जानकारी मांगी थी, जिससे उन्हें पता चला कि भूमि पर सिंचाई विभाग का स्वामित्व है। ... का गाटा संख्या 495 से 510 ... है। गाटा संख्या 510 का स्वामित्व अब न्याय विभाग के अधीन है। ... में सिंचाई विभाग की मुख्य नहर से रजबहा ... टाकीज चौराहे तक व भगवान टाकीज चौराहे से गूल कचहरी नहर नेहरू नगर होते हुए जज कंपाउंड तालाब व अकबरी तालाब तक आती थी।

अब इस गूल कचहरी नहर का संचालन बंद है। इस कारण जज कंपाउंड स्थित तालाब तथा अकबरी चर्च तालाब बिना पानी के सूख गए हैं। इसी का फायदा उठाकर लोग तालाबों पर कब्जे कर रहे हैं।

उन्होंने मांग की है कि प्रशासन नेहरू नगर तालाब को कब्जा मुक्त करवाकर उसका सौंदर्यीकरण कराए, जिससे कि पर्यावरण को जीवंत रखा जा सके और भूजल स्तर संवारा जा सके।

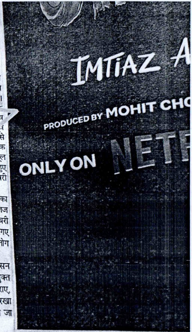

In 2014, the then ADA vice-chairman Ajay Chauhan presented a new proposal in ADA board meeting. Under this proposal, the affidavit was replaced with secu[illegible] money which is to be deposited before approval of house plan. The amount of security money is Rs 50,000 for a 300 to 500 sq m building, Rs 1 lakh for buildings of more than 500 sq m area. Beyond this, additional Rs 1 lakh per 1,000 sq m is to be deposited. The maximum limit of security money as guarantee for installation of rain water harvesting is Rs 10 lakh.

पेषक

जिला मजिस्ट्रेट,
आगरा

सेवा में,

मा0 जनपद न्यायाधीश,
आगरा।

संख्याः 482 /न्याय सहायक दिनांकः 31 जनवरी,2018

विषयः- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया की अध्यक्षता में आयोजित मॉनीटरिंग सैल की बैठक दिनांक 27-10-2017 के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या-3 के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 जनपद न्यायाधीश महोदया, आगरा की अध्यक्षता में आयोजित मानीटरिंग सैल की बैठक दिनांक 27-10-2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कार्यवृत्त दिनांक 27-10-2017 के बिन्दु संख्या-3 पर कार्यवाही कर आख्या भिजवाने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में उप जिला मजिस्ट्रेट (सदर) आगरा से पत्र दिनांक 04-12-2017 के द्वारा आख्या प्राप्त करायी गयी है, जो इस कार्यालय के पत्र संख्या 1087/न्याय सहायक, दिनांक 15-12-2017 के द्वारा मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा को प्रेषित की जा चुकी है।

अतः सुलभ संदर्भ हेतु बिन्दु-3 के सम्बन्ध में उप जिला मजिस्ट्रेट (सदर) आगरा से प्राप्त आख्या दिनांक 04-12-2017 की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नः यथोक्त

Seen. Send it to Chairman, Infrastructure Sub-committee for necessary Action. DJ 2-18

भवदीय

31/1/18

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)
आगरा

संख्या व दिनांक उक्त

प्रतिलिपि जिला मजिस्ट्रेट महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)
आगरा

DK-JA

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया की अध्यक्षता में आयोजित मॉनीटरिंग सैल की बैठक दिनांक 27 / 10 / 2017 के कार्यवृत के बिन्दु संख्या – 3 के अनुपालन में आज दिनांक 29.11.2017 को खसरा सख्या 454 की पैमाइश न्याय विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में गई आख्या निम्नानुसार है।

मौके पर पहुँचकर नेहरू नगर पार्क चौकी नेहरू नगर के सामने स्थित प्रश्नगत भूमि का मिलान उपलब्ध भाजरा मौजा लश्करपुर से किया गया प्रश्नगत भूमि गाटा सख्या 454 कुल रकवा 5.070 है0 नान जैड ए की भूमि है जो विभिन्न मुहालो में निम्नप्रकार दर्ज अभिलेख है। (1) मुहाल चोखे लाल खेवट संख्या 16 रकवा 14 9–0 बीघा मालिकान हकूमत सूबेजाती (राज्य सरकार) जेर इन्तजाम डिस्ट्रक्ट जज साहब (2) मुहाल घनश्याम खेवट सं0 1 रकवा 1–5–0 बीघा नाम मालिकान राजेन्द्र सिंह,वीरेन्द्र सिंह आदि (3) मुहाल जीवाराम खेवट स0 1 रकवा 0–18–0 बीघा नाम मालिकान अश्वनी उपाध्याय आदि (4) मुहाल बैनी प्रसाद खेवट सं0 1 रकवा 1– 2–0 बीघा नाम मालिकान राजेन्द्रसिंह वीरेन्द्र सिंह आदि (5) मुहाल भगवानदास खेवट न0 1 रकवा 1–15–0 बीघा नाम मालिकान कुँवर प्रवल प्रताप सिंह आदि (6) मुहाल लक्ष्मन सिंह खेवट सं0 1 रकवा 1– 16–10 नाम मालिकान कर्णवीर सिंह आदि (7) मुहाल लक्ष्मन सिंह खेवट सख्या 2 रकवा 1–9–0–10 नाम मालिकान कैलाश चन्द आदि दर्ज कागजात है। उपरोक्त क्रमांक 2 लगायत 7 खेवट की भूमि पर जनाब जज साहब बहादुर बतौर किरायेदार अंकित है।

प्रश्नगत गाटा सख्या 454 मि0 नेहरू पार्क के सामने रिक्त भूमि जिसमें सड़क की ओर चहारदीवारी लगभग 2 फुट है तथा कई जगह टूटी हुयी है की पैमाइश की गयी। सड़क की ओर उत्तर दिशा की भुजा 276.45 मी0 दक्षिण की भुजा 279 मी0 पूरब की भुजा 76.25 मी0 तथा पश्चिम की भुजा 27.50 मी0 से कुल क्षेत्रफल 13500 वर्ग मीटर अर्थात 1.3580 है0 प्राप्त हुआ है

प्रश्नगत भूमि मौके पर एक गढढें के रूप में है जिसमे आंशिक भाग में पानी भरा है तथा मौके पर भूमि रिक्त है। प्रश्नगत भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व की खेवट के अन्तर्गत गाटा सख्या 454 की भूमि का भाग है। राजस्व अभिलेखों में किसी वाद– विवाद का उल्लेख नही है। अभिलेखो के अनुसार भूमि निर्विवादित है। किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन होने की कोई जानकारी नही है। भूमि पर नक्शे आदि से सम्बन्धित एजेन्सियो से पूर्वानुमति प्राप्त कर निर्माण कार्य किया जा सकता है।

आख्या श्रीमानजी की सेवा में प्रेषित है

04/12/17
SDM(S)
उप जिलाधिकारी (सदर)
आगरा